RAJYA SABHA

Thursday, *the* 18th *August,* 1983/ 27 *Sravana,* 1905 (Safca)

The House met at the eleven of tie Clock Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANWERS TO QUESTIONS

Setting up Courts with women lodges to try crime against women

*341. SHRI RAM BHAGAT PASWAN: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether there i_s any proposal under Government's consideration to set up courts to be headed by women judges to try the offences relating to rape and other crime against women; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) No Sir.

(b) Does not arise.

श्री राम भगत पासवान : सभापति महोदय,. . . (**व्यवधान**)

श्रीमती रोडा मिस्त्री : सभापति जी. . . . (**व्यवधान**)

श्रीमती उषा मल्होत्रा : सभापति महोदय, . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : इससे यह मालूम होता है कि मर्दों की अब खैर नहीं है।

श्री मनुभाई पटेल : आपकी बात मंजूर है सिर्फ महिलाओं को समय दिया जाये। पुरुषों को समय न दिया जाये। हमें मंजूर है।

SHRIMATI MONIKA DAS: Sir, you should give all the lady Members a chance.

SHRI DINESH GOSWAMI: Sir, you should protect us from the ladies.

श्रीमती रोडा मिस्त्री : : पुरुष सरेंडर कर दें तो अच्छा होगा।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर : मोहतरमा, सरेंडर का मतलब बता दें।

श्री राम भगत पासवान : सभापति महोदय, वर्तमान स्थिति को देखते हुए जब कि महिलाओं पर बलात्कार और दहेज से मृत्यु की घटनायें बढ़ रही हैं, इसको नजर में रखते हुए, मंत्री महोदय का यह जवाब बिलकुल असंतोषप्रद है। उन्होंने इस स्थिति को अच्छी तरीके से जानकारी करने की कोशिश नहीं की है।

मेरा यह आग्रह है कि यह बलात्कार कांड जो महिलाओं पर हो रहा है- उनका केस जाता है पुरुष के न्यायालय में और बलात्कार ऐसी घटना है जो वहां पर हर फैक्ट्स पर चर्चा करना—अध्यक्ष महोदय, आप भी न्यायाधीश रहे हैं, तो महिलाओं के लिये यह मर्यादा का प्रश्न हो जाता है, जो हर फैक्ट का एक्सप्रेस करना। इसी लिये हमने आग्रह किया था कि आप अलग से न्यायालय जितनी जज महिलाएं हों, ऐसे न्यायालय की स्थापना करने का विचार करते हैं। और यह . . . (**व्यवधान**)

श्री सत पाल मित्तल : यह तो, सर, सुने बिना भी फैसला कर सकते हैं, यह आप जानते हैं।

श्री सभापति : उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं जानते।

श्री राम भगत पासवान : ऐसे न्यायालय जो महिलाओं पर जुर्म हो रहे हैं डावरी दहेज के चलते भी, बहुत सी महिलायें जलाई जा रही हैं। ऐसे ऐसे अत्याचार जो, सभापति महोदय, न कंस ने किये थे, न रावण ने किये थे, लेकिन आज महिलाओं के ऊपर इस तरह का अत्याचार हो रहा है। तो इस स्थिति को देखते हुए, मंत्री महोदय को अलग से महिलाओं के लिये न्यायालय कायम करने में क्या कठिनाई हो रही है, इसकी जानकारी मैं जानना चाहता हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य के विचारों का आदर करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उनका सुझाव जहां तक सिद्धांत सवाल है, बहुत अच्छा है, लेकिन कठिनाई यह है कि इतनी महिला जजेज इस समय उपलब्ध नहीं हैं, और इसलिये महिला जजेज की उपलब्धि कम होने के कारण यह डाइरेक्टिव देना संभव नहीं है।

श्री सभापति : नम्बर के सबब से आप रूके हुए हैं, या कोई और बात भी है?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : नम्बर कम हैं।

श्रीमती रोडा मिस्त्री : क्यों कम है?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : क्यों का सवाल तो यह है—पहली बात तो यह है कि महिला जजेज के लिये जो नम्बर आफर आती है, वह ही कम होती है। दूसरे उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट के सलाह वगैरह से होती है और यह नियुक्ति हमारे हाथ में नहीं है। राज्य सरकारों के द्वारा हाई कोर्ट की सलाह—मस्विरे से होती है। लेकिन यह सुझाव बहुत उपयुक्त है और हम इस बात का ख्याल रखने की कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक महिला जजेज नियुक्त हों।

श्री राम भगत पासवान : सभापति महोदय, मेरा दूसरा प्रश्न है। मंत्री महोदय, ने कहा है कि महिला जजेज की कमी है। तो मैं जानकारी चाहता हू कि जो अभी भी विभिन्न न्यायालयों में बहुत सी महिलाएं वकालत कर रही हैं, और वकील से ही जज भी होते हैं। महिलायें सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, बहुत आ गयी हैं। क्यों नहीं स्पेशल रूप से उनकी जज के रूप में बहाली कर दी जाये और इस के लिये शीघ्र अलग से व्यवस्था की जाय? मैं जानना चाहता हूं कि 1973 से लेकर 1983 तक डाउरी डैथ्स के, बलात्कार के कितने केस हुए उन में कितनों को सजा हुई, कितने छूट गये, और कितने केस अभी पेंडिंग हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा जिनकी पुत्रियां जला दी जाती हैं—पुत्री को भी लोग वैसे ही पालते हैं जैसे पुत्र को, उसी ममता से पालते हैं—क्या मंत्री महोदय, उन माता-पिता को एक लाख रु० मुआवजा देने को तैयार हैं? इन्ही प्रश्नों का जवाब में चाहता हूं।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सभापति महोदय, इस संबंध में क्रिमिनल एमेंडमेंट में विधेयक पर इसी पार्लियामेंट के सत्र में विचार होने को था। जहां तक डाउरी डैथ्स का संबंध है और डाउरी कानून का संबंध है, वह अगस्त 8, 1983 को संशोधक विधेयक के रूप में पेश हो चुका है जिसमें काफी सख्त सजाओं का प्रावधान किया गया है। जोइंट सेलेक्ट कमेटी ने क्रिमिनल एमेंडमेंट बिल में जो संशोधन सुझाये हैं उन के मुताबिक कैमरा ट्रायल होगा और जो रेप के केसेज होंगे उन में उन को साबित करने का ओनस महिला पर नहीं होगा, साबित

करने का श्रोनस, उस की जिम्मेदारी पुरुष पर होगी। इस प्रकार से उस कानून को सख्त किया जा रहा है।

जहां तक महिलाओं के एपोइंटमेंट का ताल्लुक है, यदि महिलाएं अधिक संख्या में आगे आयेंगीं जज बनने के लिये जितनी वकील हैं तो, जैसा मैंने कहा, राज्य सरकारों से निवेदन करेंगे कि उन्हें अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त करने के प्रश्न पर विचार करें।

श्री राम भगत पासवान: सभापति महोदय, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा था कि कितने बलात्कारियों को, कितने जलाने वालों को सजा दी गयी ?

श्री सभापति: सेठी साहब, आप टेबिल पर रख दें।

श्री रामेश्वर सिंह: जिधर आप बैठे हैं, वहां सजा नहीं दी जायेगी, पासवान साहब।

SHRI P. C. SETHI: I can give the figures, but it is difficult for me to say as to what the total trial number is. For example, in the year 1978 the rape cases were 4424, in 1979 they were 4167, In 1980 they were 4261, in 1981 the number was 4780 and in 1982 the number was 4371. These are all-India figures. As far as kindapping cases are concerned, the number is not large. It is 41 in Andhra Pradesh, 124 in Assam, nil in Bihar, 42 in Gujarat, 24 in Haryana, 2 in Himachal Pradesh, 13 in Kerala, 303 in Maharashtra and so on. As far as dowry deaths ?re concerned, in all the States the number was 122 in 1980, 178 in 1981 and 372 in 1982. As far as molestation number is concerned, the figures available are Statewise and it will be very long list, but I can give the list to the hon. Member.

MR. CHAIRMAN: You can lay it on the Table.

SHRI N. P. CHENGALRAYA NAIDU: He is giving the number of women only. What about men?

SHRIMATI USHA MALHOTRA'tl Mr. Chairman, Sir, the recommendation of the Anti-Dowry Committee, which toured the length and breadth of the country, is there. There was a great demand that family courts should be set up and they should be headed by women judges. They have felt like this and we also feel that this is a male-dominated world and we cannot get justice at the hands of males. I am not here to fight any liberation movement. But I must voice the feelings of women's organisations. Wherever we have gone, they have voiced this very strongly that we have women lawyers, they do go to practise in the Supreme Court and the High Courts but they are discriminated against. As such, will the'hon. Minister keep this in view that since they are already available, why can we not have them as judges and somehow bring them to deal with cases of bride burning and dowry deaths? At the moment there are a number of cases pending before the courts and one reason why they are not being dealt with is because I feel that* men do not have any sympathy that way for us.

SHRI P. C. SETHI: Sir, the question of family courts is under consideration. But, Sir, family courts would not be .meant for trial of crimes; they would be actually meant for redressing the grievances between the husband and wife in order to settle the disputes.

. As far as dowry deaths are concerned, the Bill has aready been introduced in the House where cruelty to wife has been defined and even harassment to the lady is also punishable. The crime has been made non-cognizable and non-bailable.

SHRIMATI USHA MALHOTRA:: What about the question of appointing women judges?

SHRI P. C. SETHI: As far as appointment of women judges is concerned, I have already said that it is a very good suggestion btft it is not ifor us. It is for the various Sta"te (Governments to implement it. We would certainly commend this that more and more women judges should be taken.

SHRIMATI MONIKA DAS: Mr. Chairman, sh\ - . •

SHRI P. C. SETHI: I am sorry, Sir. I said non-cognizable. It is cognizable and non-bailable.

SHRIMATI MONIKA DAS: Sir, it is a very good suggestion that women judges should be appointed. But in my view, appointment of women judges is not going to solve this prob lem because from the beginning till today women are being neglected by the male-dominated society. Of course, now a few women are coming up and getting some recognition. But that is not enough. Women constitute 55 per cent of our population in the country. But how many are getting the respect due to them? So in my view appointment of women judges is not going to solve this problem.

MR. CHAIRMAN: Then what is your suggestion ?

SHRIMATI MONIKA DAS: We have to give them education, an understanding of value of education and strength so that women can understand that men are neglecting them and exploiting them. That hns to be done in every village and in rural areas. Even they can appoint women judges, but it will not solve the problem. The male judges are there. First of all, women should get respect and education. Socially and economically, the$_v$ should get education. If there are women judges, well and good. At least one woman judge should be there in the Supreme Court.

MR. CHAIRMAN; Madam, This is a Question Hour.

SHRIMATI MONIKA DAS : When the Prime Minister of our country is a woman, what is wrong in having one woman judge in the Supreme Court? But side by side, women should get education and social res-

SHRI P. C. SETHI: As far as education of women is concerned, if we trace the history of the past 10 or 15 years, we will And that education among the ladies and women is spreading fast. And as far as respect for women is concerned, Indian subcontinent and particularly this country is well known for its respect for the ladies.

MR. CHAIRMAN : This is a ladies' issue and no Sir Galahad is required Dr. Najma Heptulla.

SHRIMATI MARGARET ALVA: We need your protection, Sir.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA : We need their cooperation, not protection. Sir, you have been in this profession...

MR. CHAIRMAN: Not bride-burning.

DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA: The question is not about bride-burning. The question ia about, appointment of women judges^ Sir, you have been associated with this profession. . .

MR. CHAIRMAN: Yes, yes; but I don't come into the picture at all, unless you can bring me back into the judiciary. Now, please ask the question.

डा० (श्रीमती) नाजमा हेपतुल्ला : महोदय, होम मिनिस्टर साहब ने हमारे साथी के जवाब में कहा कि बहुत सी ग्रौरतें ग्राती नहीं हैं स्टेज पर कि उनको जज बनाया जाए । तो क्या सरकार के पास कोई रिपोर्ट या सर्वे है कि

कितनी लायर्स हैं जिन्होंने कोशिश की होगी जज बनने की लेकिन उनको नहीं बनाया गया, दूसरे वालंटरी आर्गनाइजेशंस इस काम को लेने के लिए तैयार हैं जहां भी महिलाओं की समस्यायें आती हैं। क्या गवर्नमेंट इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार करेगी कि वालंटरी आर्गनाइजेशंस में, जैसे पहले आनरेरी मजिस्ट्रेट हुआ करते थे, वह करेंगे कि नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैंने निवेदन किया था कि जहां तक महिला जजों की नियुक्ति का प्रश्न है, यह अच्छा सुझाव है और इस पर राज्य सरकारें और संबंधित कोर्ट ज्यादा से ज्यादा अमल करें तो बेहतर होगा । लेकिन जैसा मैंने कहा जितने पुरुष इंतिहान में जजों के लिए आते हैं उतनी महिलायें नहीं आती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं का सैलेक्शन नहीं होता है । लेकिन यह सुझाव अच्छा है कि उनकी नियुक्ति अधिक संख्या में हो, बशर्ते इस पर अमल किया जाए । जहां तक नान-आफिशल कमेटीज का सवाल है, उसमें भी महिलाओं की नियुक्ति होनी चाहिए, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

श्री जी० सी० भट्टाचार्य : आनरेरी मजिस्ट्रेट का जो नाजमा जी ने कहा वह करेंगे कि नहीं।

Women honorary magistrates.

MR. CHAIRMAN : The suggestion is that there should be women honorary magistrates.

SHRI P. C. SETHI: It is a good suggestion. We will certainly consider it.

MR. CHAIRMAN: The next lady, Mrs. Roda Mistry.

श्रीमती रोडा मिस्त्री : चेयरमैन साहब, मुझे डर है कि हंसते हंसते में ही यह मसला खत्म हो जाएगा । इसलिए मैं आपसे विनती करती हूं कि हंसते हंसते में यह मामला खत्म न हो, यह एक बड़ा सीरियस मामला है ।

Fifty per cent of the population of this country are women, and they are suffering in spite of that the reply comes from the Home Minister saying, "No, Sir, it does not arise".

ये कहते हैं सप्लीमेंटरी में कि हमारे पास वीमेन जजेज नहीं हैं । तो वह किसकी गलती है, नहीं है तो ? आनरेरी मजिस्ट्रेट का पहले महकमा था, स्पेशल जजों का महकमा सी० आर० पी० सी० के अमेंडेड ऐक्ट में आने वाला है । यह बात एग्जामिन करनी चाहिए थी होम मिनिस्ट्री को । लेकिन होम मिनिस्ट्री ने यह जवाब देकर हमारे दिलों पर जख्म किया है सी० आर० पी० सी० में स्पेशल मजिस्ट्रेट का महकमा है या नहीं ऐसा दिख रहा है कि हम भी हंस हंस कर मामला खत्म कर रहे हैं ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : ऐसा नहीं है, उदाहरण के तौर पर हाई कोर्टस में इस समय 8 महिला जज हैं ।

श्री लाडली मोहन निगम : हाई कोर्टों के अन्दर कितनी जगहें खाली हैं ? वहां पर महिला जज भर दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा ।

SHRIMATI RODA MISTRY : I *am* referring to Special Magistrates in the amended *Cr.* P. C. act.

SHRI P. C. SETHI : There is nc reservation as far as women magistrates are concerned. Special Courts and Special Magistrates are appointed. For example, in Delhi a Courl has been earmarked by the Hlgl Court to deal with such cases.

MR. CHAIRMAN : But not women?

SHRI P. C. SETHI: Not women Sir, because there is no reservation.

MR. CHAIRMAN: One by one. Mrs. Pratibha **Singh.**

श्रीमती प्रतिभा सिंह : माननीय गृह मंत्री जी से मैं जानना चाहती हूं कि क्या मिसेज सुधा जायसवाल का नाम रिकमेंड हुआ था हाई कोर्ट जज के लिए ? इसकी जानकारी आपको है या नहीं ? क्या इसकी जानकारी है कि वहां भी काफी एडवोकेट हैं । दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में हमारे बड़े अच्छे एडवोकेट हैं । मैं यह जानना चाहती हूं कि कभी भी आपने उनके बारे में लिखा है ? कभी भी आपने उनका नाम रिकमेंड किया है, कभी उन्हें मौका दिया है ? मैं नाजमा जी से और रोडा जी से सहमत हूं कि हमारे दिलों में सचमुच में इसके लिये जख्म है कि महिलाओं के लिये जो बातें होती हैं उनके लिये सरकार की तरफ से ज्यादातर यही जवाब मिलता है कि देखा जायेगा । इस तरह से कह कर बात को टाल दिया जाता है । ऐसा क्यों होता रहा है, यह मैं जानना चाहती हूं ।

श्रीमती इंदिरा गांधी : व्यक्तिगत नाम नहीं लाना चाहिये । लेकिन मेरी जो बहनें आनरेबल मैम्बर्स यहां बोली हैं उनके साथ मैं पूरी तरह से सहमत हूं । यह केवल हमारे ही देश में नहीं बल्कि जो बहुत आगे बढ़े हुए देश समझे जाते हैं वहां भी महिलाओं को पूरा न्याय नहीं मिल रहा है । यही कारण है कि वीमेन लिबरेशन मूवमेंट सब जगह बढ़ रहा है । अगर हम चाहते हैं कि यहां उस प्रकार से न बढ़े तो हमें अभी से देखना है कि महिलाओं को न्याय मिले ।

दूसरी बात यह है कि इसमें जो रेप वगैरह का प्रश्न है इसके लिये मेरी भी यह राय है कि जहां तक हो सके हमें महिला जज को नियुक्त करना चाहिये । लेकिन मैं अपनी बहनों को यह भी याद दिलाना चाहती हूं कि यह जरूरी नहीं है कि कोई महिला जज ज्यादा न्याय देगी । इसलिये हमें सन्तुलन रखना है और ऐसे लोगों को नियुक्त करना है जिनकी विचारधारा इन मामलों में ठीक है । फैमिली कोर्टस पर हमने विचार किया है लेकिन अभी उस पर अन्तिम निर्णय, पक्का निर्णय नहीं हुआ है । ला मिनिस्टरी इसको देख रही है । हमारी आशा है इस बारे में कुछ हो सकेगा ।

MR. CHAIRMAN: Now, one or two gentlemen. Hon, Members Mr. Maurya**.**

श्री बुद्ध प्रिय मोर्य : माननीय सभापति जी, जिस प्रकार शोषित समाज का सदियों से शोषण हुआ है ठीक उसी प्रकार से बल्कि उससे भी बढ़कर सदियों से महिलाओं का शोषण समाज में हुआ है। यह तथ्य सामने रख कर वैसे तो मेरी बहुत सी शंकाओं का समाधान माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रवचन के बाद हो गया है तब भी कुछ शंकाएं अभी भी बाकी हैं उनको आपके सामने रखना चाहता हूं । पहली तो यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में महिला समाज पीछे रह गया है तो क्या भारत सरकार, क्योंकि एजुकेशन कांक्रेट लिस्ट में है इसलिए सभी प्रदेशों को सलाह देगी कि महिलाओं के लिए हर विभाग में, हर फैकल्टी में संरक्षण हो —चाहे वह 10 सैकड़ा हो, 15 सैकड़ा हो, वैसे तो 50 सैकड़ा होना चाहिए संख्या के आधार पर ? लेकिन क्या भारत सरकार ऐसा निश्चय लेगी और ऐसी सलाह प्रदेशों की सरकारों को देगी ?

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि जहां तक लीगल एजुकेशन का प्रश्न है

क्या भारत सरकार के पास ऐसे कोई आंकड़े हैं कि प्रदेशों के हाई कोर्ट्स में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिलाएं एडवोकेट हैं और कितनी महिलाएं ऐसी एडवोकेट हैं जिनकी प्रेक्टिस पांच वर्ष या पांच वर्ष से ज्यादा की है ? अगर इसके आंकड़े हैं तो उसके आधार पर माननीय गृह मंत्री जी का यह कथन कि कानून के विशेषज्ञ, कानून की जानने वाली महिलाओं की कमी है, वह इस पर खरा नहीं उतरेगा। मैं चाहूंगा कि इसके आंकड़े भी वह कोट करें। मैं सुप्रीम कोर्ट की मिसाल दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसी महिलाएं एडवोकेट हैं, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनसे किसी भी माने में, किसी भी क्षेत्र में कम योग्यता नहीं रखती ? लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एक भी अभी तक महिला जज नहीं है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसके साथ-साथ आर्थिक शोषण भी महिलाओं का हो रहा है। जहां सामाजिक शोषण महिलाओं का हो रहा है और उसके लिए हिन्दू कोड बिल बना था ... (व्यवधान) तीन प्रश्न मैंने किये हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं और मेरा आखिरी प्रश्न है इसलिए आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का शोषण न हो, इसके लिये आप क्या कदम उठा रहे हैं क्योंकि अभी भी ऐसे प्रदेश हैं और केन्द्र में भी ऐसी जगहें हैं जहां पर पुरुषों को मजदूरी ज्यादा मिलती है और स्त्रियों को कम मजदूरी मिलती है ? बहुत से ऐसे विभाग हैं जहां पर स्त्रियों को कम वेतन मिलता है। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि महिलायें ज्यादा काम करती हैं और महिलाओं का आउट-पुट भी ज्यादा है।

श्री सभापति : आप तो जनरल क्वेश्चन उठा रहे हैं।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : श्रीमन्, यह जनरल क्वेश्चन नहीं है। महिलाओं का सामाजिक शोषण है, आर्थिक शोषण है और मैं माननीय सदस्यों को भावनाओं को भी बता दूं कि बहू को .... (व्यवधान)

श्री सभापति : सवाल तो सिर्फ अदालतों का है।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि बहू को देवरानी से ज्यादा शिकायत है देवर से कम, बहू को जेठानी से ज्यादा शिकायत है जेठ से कम और महिलाओं को महिलाओं से ज्यादा शिकायत है ... (व्यवधान)।

श्री सभापति : मि० मौर्य, मैंने आपको क्वेश्चन पूछने का चान्स दिया। मगर आप इतना बड़ा सबजेक्ट खोल के बैठे हैं कि वह खत्म ही नहीं होता है।

श्री बुद्ध प्रिय मौर्य : श्रीमन्, मेरे तीन सवाल हैं। महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्र में संरक्षण, दूसरा कानूनी व्यवस्था में कानून की फेकल्टीज में उनको संरक्षण और तीसरा प्रश्न मेरा यह है कि आप ऐसी व्यवस्था करेंगे कि महिलाओं को वेतन, पुरुषों के बराबर मिले ? बराबर काम के लिए बराबर वेतन मिलना चाहिए, इसके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक आर्थिक प्रश्न का सवाल है, यह कानून कई राज्यों में बन चुके हैं और अन्य राज्यों में बन रहे हैं कि महिलाओं और पुरुषों को समान वेतन दिया जाय। समान काम के लिए समान वेतन दिया जाना चाहिए। जहां तक महिलाओं के

लिए रिजर्वेशन का ताल्लुक है आर्टिकिल 16 (2) में महिलाओं या किसी के लिए सेक्स के आधार पर रिजर्वेशन संभव नहीं है जब तक कि इसमें संशोधन न किया जाए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम इस बात का सुझाव राज्य सरकारों को जरूर देंगे कि अधिक से अधिक महिलाओं को नियुक्त किया जाए। मैंने यह नहीं कहा कि अधिक कानून की विशेषज्ञ या जानकार महिलाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैंने यह कहा कि अधिक महिला जज इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

SHRI BUDDHA PRIYA MAURYA: Let Us amend the Constitution. That is the need of the hour.

श्रीमती रत्न कुमारी : श्रीमन्, मेरा निवेदन है कि भारतवर्ष में महिलाएं काफी आगे बढ़ रही हैं और कानून के क्षेत्र में भी उनका काफी दखल है। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कानून की विशेषज्ञ हैं और चाहती हैं कि उन्हें जज का पद मिले। परन्तु उनकी तरफ पूरा ध्यान नहीं दिया जाता है। दो चार को तो मैं जानती हूं जो बहुत पुरानी वकील हैं, जज होने के योग्य हैं। इसलिए क्या गृह मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि योग्यता में पुरुष के समान होने वाली महिलाओं को जज का पद दिया जाय, जज के अधिकार दिये जायें क्योंकि महिलाओं की भावनाओं को महिलाएं ही उचित तरीके से समझ सकती हैं? मैं जानना चाहती हूं कि क्या गृह मंत्री जी इस बात पर विचार करेंगे कि महिलाओं के केसेज को महिलाएं ही डील करें?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सभापति महोदय, जजेज की नियुक्ति की प्रक्रिया से आप भलीभांति परिचित हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, मुख्य मंत्री और गवर्नर साहब नाम भेजते हैं, ला मिनिस्ट्री के पास नाम आते हैं और उसके पश्चात् चीफ जस्टिस आफ सुप्रीम कोर्ट से सलाह-मशिवरा किया जाता है और तत्पश्चात् नियुक्ति होती है। मैं नहीं जानता कि कोई भी इस प्रकार का भेदभाव बरता जाता है कि समान योग्यता की महिला और पुरुष उपलब्ध हों तो उसमें पुरुष की नियुक्ति की जाती हो और महिला की नहीं की जाती हो। लेकिन इन नियुक्तियों में जो खास तौर पर प्रेक्टिसिंग लॉयर्स हैं, महिलाएं हैं, उनकी आमदनी का भी ख्याल रखा जाता है। इन सब को मद्देनजर रखते हुए जो सिफारिशें आती हैं उन पर विचार किया जाता है। . . . (**व्यवधान**)

श्री सभापति : यहां पर लेडीज को चान्स नहीं दोगे तो फिर और कहां दोगे?

श्री रामेश्वर सिंह : आज तो आप एक ही साइड में बैठे हैं . . .

श्रीमती मैमूना सुल्तान : चेयरमैन साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि यह बहुत अहम सवाल है। इसमें काफी सवाल पूछे जा चुके हैं और खासतौर से जो वजीरे आलम ने इस पर रोशनी डाली है, उससे इस सवाल पर ज्यादा पूछने और कहने की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। लेकिन फिर भी जो स्पेसिफिक सवाल है, ओरिजनल सवाल यह है कि जो औरतों पर रेप होता है, यहां रात दिन अखबारों में यह बात निकलती है, माइनर गर्ल्स, छोटी लड़कियों के साथ जो रेप किया जाता है, वह कितना तकलीफदेह होता है, इसका बयान नहीं किया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं और यह जरूरी नहीं है कि औरतें जो हैं वहां इस मामले में इंसाफ कर सकें, वहां इस चीज को महसूस कर सकें। लेकिन क्योंकि यह इतनी नाजुक चीज है, इसलिए इसके लिए ऐसे जो कोर्ट्स बनाये जायें, उनमें औरतों को ज्यादा

तरजीह दी जाय, वूमैन जजेज को तरजीह दी जाय। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसको कैसे किया जाय। आपने फरमाया कि रिजर्वेशन नहीं है। रिजर्वेशन चाहिए भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए और रिजर्वेशन का सवाल इसमें आता भी नहीं है। लेकिन आप हमें यह यकीन दिलायें कि आप ऐसे कोर्टस बनायेंगे जो इन आफेन्सेज, इन जरायम को डील करेंगे और दूसरा यह है कि हजारों तरीके हैं आपके पास जिसमें आप जो हमारी वूमैन जजेज हैं वे सामने आयेंगी और आप इन्हें इसमें मौका देंगे चाहे रिजर्वेशन हो या नहीं। ये दोनों चीजें ऐसी हैं, मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब इस पर रोशनी डालें, सफाई दें ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : सभापति महोदय, फेमिली कोर्टस के बारे में जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, फेमिली कोर्टस का मामला ला मिनिस्ट्री में विचाराधीन है। जहां तक इन कानूनों में संशोधन रेप आदि के संबध में है, मैंने पहले ही बताया कि डाऊरी ऐक्ट अमेंडमेंट तो पेश कर दिया गया है और क्रिमिनल एमेंडमेंट एक्ट भी पेश हो चुका है, जिसके अन्दर इस प्रकार के कड़े प्रावधान किये गये हैं। यह सुझाव तो मान लिया है और स्वंय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को मानी है कि अधिक से अधिक महिला जजेज नियुक्त हों, इसके लिए हम प्रयास करेंगे।

MR. CHAIRMAN: Yes, the lady Member on this side. Mrs. Alva. Then, I will allow three more.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, I want to know only one thing from the honourable Minister. The Dowry Prihibition (Amendment) Bill, whnich was sent to a Joint Select Committee, has reached the report stage now and the Committee had submitted its report at least a year ago.

MR. CHAIRMAN; But that has nothing to do with the appointment of women judges.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Sir, it concerns the whole process of looking into this matter. Now it is before the House. I would like to ask the Minister when they expect to have it passed because that in itself would go a long way in plugging the loopholes in the whole process of finding justice to women in these cases. There are provisions in that Bill for these things.

MR. CHAIRMAN: All right. After you, I will allow Mr. Nigam. Mr. Goswami and one more. Yes, Mr. Minister.

SHRI P. C. SETHI: Sir, as far as the Joint Select Committee's Report is concerned, that Bill is before the Parliament. But, in the meantime, another Bill has been introduced in the Rajya Sabha on 8th August, 1983 to deal with cruelty to women and this Bill provides for stringent punishment in the case of such crimes.

SHRIMATI MARGARET ALVA: He has not understood my question at all.

MR. CHARMAN: Yes, Mr. Goswami.

SHRI DINESH GOSWAMI: Sir, in the whole process of the questions asked and the supplementaries put, one aspect has not been dealt with at all. The honourable Minister has said the Criminal (Amendment) Bill is coming in which provisions have been made for trials *in camera* and for shifting {he burden of proof. But the problem is not only after it goes to the court. The greater problem is there before it arrives in the court because the entire thing is bungled at the investigating stage and a lot of pressure is being put and we do not

have sufficient people at the investigating stage who have got sympathy for the affected womenfolk. Therefore, Sir, I would like to know whether the Government is thinking of setting up a special investigating machinery and also of making suitable amendments in the Criminal Procedure Code so that the investigating procedures may be streamlined. I am saying this because if this is not streamlined, whatever amendments we may make in the Cr. PC, during the trial stage justice will never be done.

SHRI P. C. SETHI; Sir, as far as Delhi is concerned, a Special Cell has been appointed headed by a woman and they are investigating the matters.

MR. CHAIRMAN: Yes, Mr, Mitra.

SHRI SANKAR PRASAD MITRA: Sir, I am responsible for appointment of the maximum number of women High Court Judges. Apart from the questions of sentiment or emotion, would the toon. Minister agree that the question of ability, fitness or competence, is also of supreme importance in the appointment of High Court or any other Court Judges.

SHRI P. C. SETHI: Sir, there "is no point of disagreement.

श्री लाडली मोहन निगम : सभापति महोदय, गृह मंत्री जी ने कहा और प्रधानमंत्री जी ने जो उसमें हिस्सा लिया है उससे जो प्रश्न उत्पन्न हुए मैं वह कहना चाहता हूं। एक मेरा प्रश्न यह है कि बात सही है कि औरत के प्रति मनुष्य का क्या दृष्टिकोण है, इसका क्या असर पड़ता है प्रधानमंत्री जी ने कबूल किया। क्या आप इस बात को जांचेंगे कि आदमी का दृष्टिकोण या नजरिया औरत के प्रति कैसा है? उसके लिए क्या कानून की जो विद्यार्थी पढ़ाई करता है उसमें कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं कि आदमी के ऊपर कोई प्रश्न हो ताकि उसके अन्तर्मन की कहीं न कहीं झलक आ सके ? उसी के साथ दूसरा सवाल यह है कि जब जांच की प्राथमिक अवस्था होती है, क्योंकि जब तक जांच नहीं होगी तब तक अदालत के सामने मामले नहीं जा सकते हैं जैसे कि गोस्वामी जी ने कहा कि उसमें गड़बड़ी होती है। क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि जिला स्तर पर कम से कम एक महिला पुलिस अधिकारी जो एस० पी० के रैंक की हो सकती है वह अदालत में किसी थाने का मामला पेश होने से पहले जांच कर ले और वह यह कह दे कि इस मामले में जांच के दौरान कोई गड़बड़ी नहीं हुई, जब वह मुत्तमईन हो जाए तभी वह मामला अदालत के सामने पेश हो? तीसरी इसी के साथ जुड़ा हुआ प्रश्न यह है कि आपके सामने तकलीफें हैं, क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि समाज में जब किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, उस पर जो कलंक लग जाता है समाज में हमेशा वह अपने को उपेक्षित, अलग महसूस करती है तो क्या सरकार ऐसी महिलाओं के पुनः स्थापन के लिए उनके रिहैबिलिटेशन के लिए नौकरियों में उनको प्राथमिकता देगी ?

श्री जे० के० जैन : सभापति महोदय, विरोधी दलों में कितनी सहानुभूति महिलाओं के प्रति है, एक भी महिला सदस्य नहीं है (व्यवधान) यह तो वैसे आंसू बहाते रहते हैं. (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : वे तो आपको भी महिला मान रहे हैं (व्यवधान)

श्री सत पाल मलिक : जैन साहब का इशारा माथुर साहब, लाडली मोहन निगम जी की तरफ है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : प्रत्येक पुरुष के अन्तर्मन को जानने के लिए तो शिक्षा में कोई प्रावधान नहीं है . . .

श्री लाडली मोहन निगम : लेकिन जो प्रधान मंत्री जी ने कहा कि उसके बगैर न्याय नहीं हो सकता है। आपके पास साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं जो उनको जांच करें। जजेज को अप्वाइंट करने के पहले उनको मनोचिकित्सा कराएंगे कि नहीं? यह करा लें।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जहां तक जजेज की नियुक्ति का प्रश्न है मैंने कहा है कि अधिक से अधिक महिला जजेज की नियुक्ति हो। यह जो सुझाव है माकूल सुझाव है। जहां तक इनवेस्टीगेशन स्टेज पर प्रत्येक जिले में ऐसे पुलिस अधिकारी नियुक्त किये जाने का प्रश्न है वैसे पुलिस अधिकारी बहुत जगहों पर महिलाएं हैं लेकिन इन्वेस्टीगेशन के लिए खास तौर पर महिलाएं हों प्रत्येक जिले में यह फिलहाल नहीं है। हमने यह प्रयोग दिल्ली में शुरू किया है। लेकिन जिला स्तर पर पहुंचने में समय लगेगा।

श्रीमती इंदिरा गांधी : सभापति जी, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प प्रश्न पूछा है शिक्षा के बारे में कि यह सच है कि जो हमारे देश में अब तक स्टडीज हुई हैं और दूसरे देशों में भी टैक्स बुक्स हैं और हमारे देश की फिल्मों में शुरू से लड़की या महिला को हीन और दुर्बल उस में दिखाया जाता है जैसे योग्यता नहीं है, वह केवल कुछ काम कर सकती है दूसरी चीजों में मुकाबला नहीं कर सकती है और उसका प्रभाव जरूर समाज पर पड़ता है, जब लोग पढ़ते हैं। इस चीज पर, आपको मालूम है कि शिक्षा राज्य सरकारों का विषय है, . लेकिन थोड़ी बहुत उनसे मेरी बात हुई है और दूसरे जो टीचर्ज वगैरह हैं उनसे भी इस प्रकार की बातचीत हुई है।

Abolition of sales tax on sale of bangles

*342. SHRI SYED AHMAD HASHMI: f
DR. (SHRIMATI) NAJMA HEPTULLA:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whethr Government propose to abolish sales tax on sale of bangles in the Union Territory of Delhi in view of the fact that bangle industry is manned by middle and low income group and these people face a lot of hardship in calculating sales tax;

(b) if so, by when; and

(c) if the answer to part ([a]) above b_e in the negative, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) The Delhi Administration has reported that no such proposal is under consideration of the Administration.

(b) Does not arise.

(c) The Delhi Administration has reported that since sales tax on ban- '
gles is leviable in the neighbouring States of Uttar Pradesh, Punjab, Haryana and Rajasthan, the Delhi Administration cannot exempt this item from the levy of sales tax in isolation.

श्री सैयद अहमद हाशमी : मैं यह आनरेबल मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा कि ऐसा तो नहीं है कि गुड़ का नफा

fThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Syed Ahmad HashmL